

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-75/2018/ दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सीकर


विषय:- श्रीमती मणी देवी नर्स -2 के अवकाश के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 79 दिनांक 25.01.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के क्रम में श्रीमती मणी देवी , नर्स-2 (परिविक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्धित प्रकरण में लेख है कि कार्मिका परिविक्षाकाल में आवेदित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी असाधारण अवकाश का उपभोग किया है अथवा नहीं ? , रोग आरोग्य प्रमाण पत्र एवं जीए-45 भी प्राप्त कर भिजवावे एवं कार्मिका की प्रथम नियुक्ति दिनांक , जन्म दिनांक भी , उपरोक्त अवकाश अवधी में आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई की सूचना भिजवावे। सूचना भिजवाने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 22/10/18

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-75/2018/1447
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर